भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4111
25 मार्च,2025 को उत्तरार्थ

को उत्तरार्थ

विषय: विभिन्न कृषि उपज की अपेक्षित मांग और आपूर्ति का आकलन

4111. श्री परषोत्तमभाई रुपाला:

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अधिक उत्पादन और भारी कमी को रोकने के लिए विभिन्न कृषि उपज की अपेक्षित मांग और आपूर्ति का अग्रिम आकलन करने के लिए कोई तंत्र है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या यह तंत्र किसानों को आवश्यकता के अनुसार फसल उगाने के लिए ऐसी जानकारी देने में सफल रहा है, जिससे खेती लाभदायक हो सके और साथ ही मांग-आपूर्ति के बीच असंतुलन को भी कम किया जा सके और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) सरकार द्वारा इस तरह के अग्रिम आकलन को दुरुस्त करने और इस संबंध में देश के किसानों को पहले से ही जागरूक करने के लिए की गई नई पहलों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री
(श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (घ): कृषि विपणन राज्य का विषय है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय उचित नीतिगत उपायों, बजटीय सहायता और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से राज्यों के प्रयासों में सहायता करता है। केंद्र सरकार घरेलू बाजार में कृषि उपज की मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन बनाए रखने तथा नीतिगत हस्तक्षेप के माध्यम से किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकतानुसार अपेक्षित उपाय करती है।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय प्रत्येक कृषि वर्ष (जुलाई-जून) के दौरान 28 प्रमुख कृषि फसलों के संबंध में क्षेत्र, उत्पादन और उपज के तीन अग्रिम अनुमान और एक अंतिम अनुमान जारी करता है। पहले अग्रिम अनुमान अक्टूबर माह में जारी किए जाते हैं जिसमें खरीफ फसलें शामिल हैं। दूसरे अग्रिम अनुमान फरवरी माह में जारी किए जाते हैं जिसमें खरीफ और रबी दोनों फसलें शामिल हैं। तीसरा अग्रिम अनुमान मई माह में जारी किया जाता है और इसमें खरीफ, रबी और ग्रीष्मकालीन फसलें शामिल होती हैं। अंतिम अनुमान कृषि वर्ष पूरा होने के पश्चात सितंबर माह में जारी किए जाते हैं।

कृषि-बागवानी जिंसों में बाजार में आपूर्ति बढ़ाने और अत्यधिक मूल्य अस्थिरता को रोकने के लिए, वर्ष 2014-15 से मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) योजना कार्यान्वित की जा रही है। पीएसएफ के तहत, बाजार में हस्तक्षेप करने और अनुचित अनुमान को हतोत्साहित करने के लिए प्रमुख दलहनों तथा प्याज के बफर स्टॉक बनाए रखे जाते हैं। बाजार में उपलब्धता बढ़ाने के लिए बफर से स्टॉक को कैलिब्रेटेड तरीके से जारी किया जाता है। दलहनों की बढ़ती मांग की आपूर्ति के लिए, सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए तूर, उड़द और मसूर के संबंध में मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत खरीद की अधिकतम सीमा हटा दी गई है।

*****